बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

क्रमांकः– प. 24 / बा.शि.फा. / आपकी बेटी / 2018 / 395–468

दिनांक :–28.06.2018

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा
....

विषयः– वर्ष 2018–19 में "आपकी बेटी योजना" के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के प्रस्ताव भेजने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि साधन विहिन बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने, राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करने एवं साधनहीन बालिकाओं को शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से 'आपकी बेटी योजना' राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पत्र 1(18) / शिक्षा–1 / प्राशि / 2004 जयपुर दिनांक 22.02.2005 के द्वारा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है।योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 8 की बालिका को 1100 / – एंव कक्षा 9 से 12 की बालिका को 1500 / – की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

आपकी बेटी योजना के तहत बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के द्वारा वर्ष 2018–19 में कक्षा–1 से 12 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत **गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाएं, जिनके माता–पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो,** तो ऐसी बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

अतः सत्र 2018–19 के लिए आपकी बेटी योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं के प्रस्ताव दिनांक 30.09.2018 तक सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015 को बालिकाओ की सूची, हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में निर्धारित दिनाक तक निम्न प्रारूप में वाहक के साथ भिजवाने का श्रम करें।

क्र. सं.	छात्रा का नाम	विद्यालय का नाम	कक्षा	बी.पी. एल. नम्बर	बैंक खाता संख्या	आईएफसी कोड	बैंक का नाम	माता / पिता किसका निधन हुआ	वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उपरोक्त प्रारूप में कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 की सूची अलग–अलग तैयार कर भेजनी है ध्यान रहे कि सूची में सभी कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से कि जावे तथा निजी विद्यालयों की बालिकाओं को उक्त योजना सम्मिलित नहीं किया जावे सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार योजना की राशि बालिकाओ के बैंक खातो में स्थानान्तरित की जावेगी अतः बैंक खाते का विवरण आवश्यक रूप से जाँच करके ही भेजा जावे गलत खाते के विवरण की वजह से यदि बालिका के खाते में राशि स्थानान्तरित नही हो पायेगी तो इस का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वय का होगा।

संलग्न : आवेदन–पत्र।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा

क्रमांकः जिशिअ / मा / को / शै.प्र. / 2018 /

दिनांकः 30.07.2018

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक,
राउमावि / रामावि (छात्र / छात्रा),
जिला कोटा।

मूल ही प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2018–19 हेतु आपकी बेटी योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं के आवेदन उपरोक्त निर्देशों की पाला करते हुए दिनांक 10.09.2018 तक हार्ड कॉपी व MS-Excel (सॉफ्ट कॉपी) में वाहक स्तर पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

क्रमांक :– प. 23 / बा.शि.फा. / शा.वि. / 2018 / 469–509 दिनांक :–28.06.2018

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा
....

विषयः– शारीरिक अक्षमतायुक्त (दिव्यांग) बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन–पत्र भेजने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शारीरिक अक्षमतायुक्त (दिव्यांग) बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना सत्र 2005–06 से प्रारम्भ की गई थी, योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दिव्यांग बालिकाओं को 2000 / – रुपयें की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

अतः सत्र 2018–19 में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दिव्यांग बालिकाओं के आवेदन–पत्र मय सूची दिनांक 30.09.2018 तक आवश्यक रूप से सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015 को वाहक के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि समय पर पात्र बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा सके। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।

उक्त पात्र बालिकाओं की सूची निम्न प्रारूप में भिजवाने का श्रम करे।

क्र. सं	बालिका का नाम	विद्यालय का नाम	कक्षा	बैंक खाता संख्या	आई एफ सी कोड	बैंक का नाम
1	2	3	4	5	6	7

(रतन सिंह यादव)
सचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

क्रमांक :– प. 23 / बा.शि.फा. / शा.वि. / 2015 / दिनांक :–

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ....।
3. कार्यालय प्रति।

उपसचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

आपकी बेटी योजना
आवेदन–पत्र सत्र 2018–19

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाएं, जिनके माता– पिता दोनों अथवा एक का निघन हो गया हो ऐसी बालिकाओ के लिए

1	छात्रा का नाम	
2	पिता का नाम	
3	माता का नाम	
4	राजकीय विद्यालय का नाम	
5	कक्षा	
6	जन्मतिथि	
7	घर का पता	
8	बी.पी.एल. कार्ड नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
9	माता या पिता अथवा दोनों के निधन का मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करें	
10	अनु. जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य (वर्ग)	
11	बैंक का नाम एवं शाखा	
12	खाता संख्या एवं आई.एफ.एस. कोड	
13	भामाशाह कार्ड न.	

छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी .... जो कि कक्षा .... में अध्ययनरत है उक्त छात्रा आपकी बेटी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने की पात्रता रखती है। अतः छात्रा को आर्थिक सहायता प्रदान करने की अभिशंषा की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी
मय मोहर

सूची क्रमांक :- ....

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

सत्र् 2018–19

शारीरिक अक्षमतायुक्त आर्थिक सबलता पुरस्कार प्राप्त वाली छात्राओं का विवरण

1	छात्रा का नाम	
2	पिता का नाम	
3	माता का नाम	
4	वर्तमान में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय का नाम	
5	कक्षा	
6	जन्मतिथि	
7	वर्ग	
8	दिव्यांगिता का प्रकार (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	
9	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	
10	बैंक का नाम एवं शाखा	
11	खाता संख्या एवं आई.एफ.एस. कोड	
12	आधार कार्ड नम्बर	

छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी .... पुत्री श्री .... इस विद्यालय की कक्षा .... में अध्ययनरत है। यह छात्रा आर्थिक सबलता पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त करने की पात्र है। छात्रा का विवरण तथा हस्ताक्षर मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी
मय मोहर

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर